रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3173] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No. 3173] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का. आ. 3969(अ) .—केंद्र सरकार, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघख के उप-नियम (4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43 की उप-धारा (5) के परन्तुक के खंड (घ) की व्याख्या 1 के खंड (ii) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के प्रयोजन हेतु, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, एनएसई आईएफएससी लि., गांधीनगर, गुजरात (पैन: AAFCN4161P) को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा मान्यता प्राप्त 'मानकीकृत स्टॉक एक्सचेंज' के रूप में अधिसूचित करती है, नामत:

(i) स्टॉक एक्सचेंज के पास डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित, भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड का, अनुमोदन होना चाहिए और इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करना चाहिए;

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक का ब्यौरा (ग्राहक की यूनीक पहचान संख्या और पैन सहित) विधिवत् दर्ज किया गया है और इसके डेटाबेस में संग्रहीत किया गया है;

(iii) इसे अपने सिस्टम पर सात वर्षों की अवधि के लिए सभी संव्यवहारों (डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में) का पूर्ण लेखा परीक्षा बनाए रखना चाहिए।

(iv) इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम में एक बार पंजीकृत संव्यवहार (डेरवेटिव मार्केट के संबंध में) हटाए नहीं जा पाए)

(v) इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम में पंजीकृत होने पर संव्यवहार (डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में) वास्तविक त्रुटि होने पर ही संशोधित किए जाएं और जिसे संशोधित किया गया है, उसके संबंधित सभी पंजीकृत संव्यवहार (डेरिवेटिव बाजार के संबंध में) का ब्यौरा रखा जाए और फार्म सं. 3 खख में एक मासिक विवरणी, आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच), नई दिल्ली, को ऐसी विवरणी से संबंधित प्रत्येक माह के आखिरी दिन के पश्चात 15 दिनों के भीतर जमा करें।

3. यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापसी नहीं लिया जाए या उसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त, यदि उपरोक्त पैरा में दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना को रद्द कर दिया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 36/2018/फा. सं. 225/112/2018-आईटीए- II]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव (आईटीए-II), सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O. 3969(E).—In exercise of the powers conferred under clause(ii) of Explanation 1 of clause (d) of proviso to sub-section (5) of Section 43 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (4) of Rule 6DDB of the Income-tax Rules,1962, the Central Government hereby notifies **NSE IFSC Limited, Gandhinagar, Gujarat (PAN: AAFCN4161P)** as a **'recognised stock exchange'** for the purpose of said clause with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to fulfilment of following conditions in respect of trading in derivatives, namely;

(i) the stock exchange shall have the approval of the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992) in respect of trading in derivatives and it shall function in accordance with the guidelines or conditions laid down by the Securities and Exchange Board of India;

(ii) it shall ensure that the particulars of the client (including unique client identity number and PAN) are duly recorded and stored in its databases;

(iii) It shall maintain a complete audit trail of all transactions (in respect of derivative market) for a period of seven years on its system;

(iv) it shall ensure that transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are not erased;

(v) it shall ensure that the transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are modified only in cases of genuine error and maintain data regarding all transactions (in respect of derivative market) registered in the system which have been

modified and submit a monthly statement in Form No. 3BB to the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), New Delhi within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates.

3. This notification shall remain in force until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires. Further, if any of the conditions stipulated in para above are violated, it may lead to rescinding of this notification by the Central Government.

[Notification No.36/2018/F. No. 225/112/2018-ITA-II]
RAJARAJESWARI R., Under Secy. (ITA-II), CBDT.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.18 16:53:33 +05'30'